UPUN010051582026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट, कोर्ट सं0–4 उन्नाव।
पीठासीन अधिकारी– श्री रामराज II, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06491

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2261/2026

अजय कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार,

अपराध सं0–1041/2021,
धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना–एन्टी पावर थेफ्ट, जिला–उन्नाव।

दिनांक–22.08.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त अजय कुमार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अपराध सं0–1041/2021 धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–एन्टी पावर थेफ्ट, जनपद–उन्नाव के मामले में जमानत पर रिहा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन के अनुसार, दिनांक 03.09.2021 को समय लगभग दोपहर 10.45 बजे आशीष कुमार चौधरी अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ऐराभदियार उन्नाव एवं राजस्व वसूली हेतु कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत चेकिंग की गई तो अजय कुमार पुत्र बाबूलाल ग्राम कनिकामऊ पोस्ट शंकरपुर सराय थाना गंगाघाट जिला उन्नाव के द्वारा मीटर बाईपास करके दो घरों में डायरेक्ट विद्युत चोरी किया जा रहा है। जिनमें संयोजित लगभग 03 किलोवाट का घरेलू उपयोग करते हुए पाया गया।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया कि, प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमा पूर्णतयः झूँठा व फर्जी है प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की बिजली चोरी नहीं की गई है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी द्वारा समस्त बकाया शुल्क पूर्व में जमा किया जा चुका है तथा अब किसी प्रकार का कोई भी शेष बकाया नहीं है। प्रार्थी का समाज में काफी अच्छा व्यवहार है। प्रार्थी से किसी भी प्रकार से बिजली चोरी नहीं की है और न ही संयोजक को जोड़ा है और न ही मीटर खोलकर मीटर को बाईपास करके विद्युत चोरी ही की गई है और न ही प्रार्थी द्वारा कोई बिजली चोरी जैसी घटना कारित की गई है बल्कि वादी मुकदमा द्वारा फर्जी तरीके से दर्ज कराया गया है। प्रार्थी पर लगाये गये आरोप मिथ्या है। प्रार्थी को दौरान मुकदमा सुनवाई जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति है। प्रार्थी अपने परिवार का भरण पोषण मेहनत मजदूरी करके करता है। प्रार्थी पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद है प्रार्थी ने अपने विद्युत बिल की समस्त अदायगी कर दी गई है तथा कुछ विद्युत बिल शेष नहीं रहा है। यह प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इससे पहले न ही इस न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र दिया है और न ही खारिज है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी दौरान मुकदमा न भागेगा, न गवाहान सबूत

को तोड़ेगा और न ही उन पर कोई बेजा असर डालेगा। प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित जमानत की समस्त शर्तो का अनुपालन करेगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करे।

4— विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5— विशेष लोक अभियोजक व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6— पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसके द्वारा विद्युत बिल की समस्त अदायगी कर दी गई है तथा कुछ विद्युत बिल शेष नहीं रहा है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7— अतः ऐसी स्थिति में उभयपक्षों के तर्कों, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण—दोष पर कोई मत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अजय कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—2261/2026, मु0अ0सं0—1041/2021, धारा—135 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना—एन्टी पावर थेफ्ट, जनपद—उन्नाव स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त को मु0—20,000 रूपये का निजी बंधपत्र तथा समान राशि की दो प्रतिभू एवं प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित रहने के संबंध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक—22.08.2026

(रामराज—II)
विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट
कोर्ट सं0 4, उन्नाव।